रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 217

No. 227] DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938 [N.C.T.D. No. 217

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

सं. 597/पीएस/सीए/न.दि.न.परिषद.—न.दि.न.परिषद् के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों हेतु भवन उपनियमों को बनाने हेतु, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जबकि, न.दि.न.परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 की धारा 44) की धारा 260 की उप–धारा (1) केन्द्र सरकार को अधिकृत करती है।

तथा जबकि, न.दि.न.परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 260 की उप–धारा (3) यह प्रावधान करती है कि ऐसे उप–नियमों का प्रारूप परिषद् अध्यक्ष को अग्रेशित किया जाएगा जो ऐसे प्रकाशनों की तिथि से 30 दिनों के भीतर नागरिकों से आपत्तियाँ तथा परामर्श आमंत्रित करने हेतु रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने का कारण बनेगा।

तथा जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की धारा 61) की धारा 57 की उप–धारा (1) का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ भारत के असाधारण राजपत्र भाग–II, धारा 3, उप–धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 1191(अ), दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा ''एकीकृत भवन उपनियम दिल्ली–2016'' को अधिसूचित किया।

तथा जबकि, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने पत्र सं. के-12016/3/2014–डीडी–I दिनांक 23 मार्च, 2016 द्वारा न.दि.न.परिषद् को उक्त एकीकृत भवन उप–नियम, दिल्ली, 2016 को अपनाने हेतु अनुरोध किया।

अब इसलिए, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 260 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में अध्यक्ष नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् एतद्द्वारा ''दिल्ली 2016 हेतु एकीकृत भवन उप–नियमों'' भारत के राजपत्र असाधरण में भाग–II, धारा 3, उपधारा (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 1191(अ) दिनांक 22 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशन करते हैं पर जनसाधारण से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हैं। जैसाकि अधिसूचना सं. का.आ. 2479(अ) दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित अनुसार भारत के राजपत्र अधिसूचना, भाग–II, धारा 3, उपधारा (ii) में प्रकाशित तथा एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त उप–नियम तिथि जिसमें राजपत्र की प्रतिलिपियाँ जोकि जनसाधारण को अधिसूचना प्रकाशित होती है, से उपलब्ध होते हैं, से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, पर विचार विमर्श किया जाएगा।

ऐसे उप नियमों पर कोई आपतियाँ अथवा सुझावों को बनाने में कोई इच्छुक व्यक्ति सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, तृतीय तल, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को डाक अथवा इलेक्ट्रोनिक रूप से ई–मेल पताः–secretary@ndmc.gov.in के माध्यम से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों में लिखित में ऐसा कर सकता है।

उक्त उपनियमों के संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति अथवा सुझाव किसी व्यक्ति अथवा संगठन से प्राप्त किए जाते हैं, पर केन्द्र द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा।

न.दि.न.परिषद् के आदेश से,
नरेश कुमार, अध्यक्ष

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2016

No. 597/PS/CA/NDMC.—Whereas, sub-section (1) of section 260 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994) empowers the Central Government, by notification in the Gazette of the Government of the National Capital Territory of Delhi, to make building bye-laws for the areas under the jurisdiction of the New Delhi Municipal Council.

And whereas, sub-section (3) of section 260 of the said New Delhi Municipal Council Act, 1994 provides that the draft of such bye-laws shall be forwarded to the Chairperson who shall cause the same to be published in the Gazette of the Government of the National Capital Territory of Delhi for inviting objections and suggestions from the public within thirty days from the date of such publications.

And whereas, the Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), with the previous approval of the Central Government notified the "Unified Building Bye Laws for Delhi 2016" vide notification number S.O. 1191(E), dated the 22nd March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

And whereas, the Ministry of Urban Development, Government of India, vide letter No. K-12016/3/2014-DDI dated the 23rd March, 2016, requested New Delhi Municipal Council to adopt the said Unified Building Bye Laws for Delhi, 2016.

Now therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 260 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994, the Chairperson, New Delhi Municipal Council hereby invites objections and suggestions from the public on the "Unified Building Bye Laws for Delhi 2016" published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1191(E), dated the 22nd March, 2016 as amended by notification number S.O. 2479(E), dated the 21st July, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and notice is hereby given that the said bye-laws will be taken into consideration after expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on such bye-laws may do so in writing thirty days from the date of publication of this notification through post to the Secretary, New Delhi Municipal Council, 3rd Floor, Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi-110001, or electronically at e-mail address: secretary@ndmc.gov.in.

Any objection or suggestions, which may be received from any person or organization in respect to the said bye-laws within the period so specified will be considered by the Central Government.

By Order and in the
Name of Chairperson, NDMC,
NARESH KUMAR, Chairperson

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.10 10:39:32 +05'30'